तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानीसिंह बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ.अपील सं0 42/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	अपीलार्थी भवानीसिंह ओड पुत्र आईदानसिंह ओड निवासी बुडियों की बासनी, लवेराखूर्द जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09...2023. में उसके द्वारा (1) पूर्व तहसील ओसिया वर्तमान तहसील बावड़ी के ग्राम लेवराखूर्द (वर्तमान ग्राम बुड़ियों की बासनी के सबलाराम पुत्र तेजाराम धर्माराम पृत्र सबलाराम, हड़मानराम पुत्र धर्माराम जाट के नाम से सम्पूर्ण भूमि आबंटन के संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी ओसियां) से जरिये पत्रांक 1625 दिनांक 30.[illegible]2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना [illegible] कार्यालय हाजा के रेकर्ड का अवलोकन करने पर संबंधित पत्रावली से कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया। प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक आर.टी.आई./2023/701 दिनांक 20.[illegible] द्वारा सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड नहीं होने बाबत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:15:54 IST
Reason: SelfAttested